

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन ) विधेयक, २०१७

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १६ का संशोधन.
५. धारा २३-क का संशोधन.
६. धारा २३-ग और २३-घ का अंतःस्थापन.
७. धारा ३४ का लोप.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१७

### मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन ) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में, उपधारा (४) में,—

धारा १ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ख) में, सेमी-कोलन के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु रक्षा संकर्म अधिनियम, १९०३ ( १९०३ का ३) के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित और अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञाप प्राप्त करने के लिए कमान अधिकारी से पूर्विक अनापत्ति प्रमाण-पत्र है;”

उपेक्षित

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) रेल अधिनियम, १९८९ ( १९८९ का २४) के अधीन, रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को,”.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(छ क) “विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (डी आर सी)” से अभिप्रेत है, इसके धारक को स्थानांतरणीय विकास अधिकार प्रदान करने वाला और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ;

(छ ख) “विकास अधिकार प्रमाण-पत्र लेखा” से अभिप्रेत है, प्राधिकारी द्वारा संधारित एक सारणीकृत लेखा जिसमें उत्पादन क्षेत्र, कुल आवंटित क्षेत्र, किसी भी समय स्थानांतरित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को खरीदने वाले व्यक्ति और प्राप्त क्षेत्र की प्रविष्टियां हों;”;

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(झ क) “उत्पादन क्षेत्र” से अभिप्रेत है, किसी लोक परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें सम्मिलित हैं सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा संबंधित योजना क्षेत्र में लोक प्रसुविधाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, परिवहन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, लोक गृह निर्माण तथा कोई अन्य विशेष उपयोग, जो ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए अधिसूचित किया जाएगा;”;

